

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 741
गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम)

741. श्री एन. रेड्डप्प:

श्री दयाकर पसुनूरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार जवाहर लाल नेहरू सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उन ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोत्साहन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

- (क) और (ख): केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अनुलग्नक-1 में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान संचित संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-11 में दिया गया है।
- (ग) भारत सरकार ने किसानों की बिजली पर निर्भरता कम करने तथा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए 'प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)' नामक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-
- (i). किसानों द्वारा 2-2 मेगावाट के ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना;
 - (ii). वर्ष 2022 तक 17.5 लाख स्टैंड-अलोन ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप लगाना;
 - (iii). वर्ष 2022 तक इस समय लगे हुए 10 लाख ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाना।

‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम)’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोकसभा अतारंकित प्रश्न सं. 741 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं का विवरण

- i. 50 से अधिक सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए सौर पार्क योजना, जिनमें 40,000 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है।
- ii. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और भारत सरकार के संगठनों द्वारा व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण (वीजीएफ) की सहायता से 1000 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने हेतु योजना।
- iii. रक्षा प्रतिष्ठानों और अर्ध सैनिक बलों द्वारा वीजीएफ की सहायता से 300 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु योजना।
- iv. नहरों के किनारों और नहरों के ऊपर ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए प्रायोगिक एवं निदर्शन परियोजनाएं।
- v. बंडलिंग योजना - एनटीपीसी लि./एनवीवीएन के माध्यम से 15,000 मेगावाट के ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्र।
- vi. भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) के माध्यम से 2000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु वीजीएफ योजना।
- vii. सेकी के माध्यम से 5000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना हेतु वीजीएफ योजना।
- viii. ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप विद्युत संयंत्रों की संस्थापना।
- ix. ऑफग्रिड सौर पीवी योजना।
- x. प्रधानमंत्री - किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)।

‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम)’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 741 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

विगत तीन वर्षों के दौरान संचित ग्रिड संबद्ध संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का राज्य-वार विवरण
(मेगावाट में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016-17 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	वर्ष 2017-18 के दौरान जोड़ी गई क्षमता	वर्ष 2018-19 के दौरान जोड़ी गई क्षमता
1	अंडमान और निकोबार	1.46	0.00	5.17
2	आंध्र प्रदेश	1294.26	328.24	890.22
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	5.13	0.00
4	असम	11.78	0.67	9.95
5	बिहार	103.42	33.93	0.00
6	चंडीगढ़	10.52	7.88	9.51
7	छत्तीसगढ़	35.28	102.49	0.00
8	दादरा और नगर हवेली	2.97	2.49	0.00
9	दमन और दीव	6.46	0.15	3.86
10	दिल्ली	25.99	17.80	57.32
11	गोवा	0.71	0.20	2.98
12	गुजरात	130.19	328.89	852.13
13	हरियाणा	66.01	123.45	7.67
14	हिमाचल प्रदेश	0.53	0.00	21.95
15	जम्मू और कश्मीर	0.36	0.00	13.47
16	झारखंड	7.08	2.39	9.28
17	कर्नाटक	882.38	3915.22	1151.43
18	केरल	61.15	33.46	30.65
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	80.67	448.31	534.81
21	महाराष्ट्र	66.61	777.56	394.36
22	मणिपुर	0.03	0.03	3.38
23	मेघालय	0.01	0.01	0.10
24	मिजोरम	0.00	0.10	0.30
25	नागालैंड	0.50	0.50	0.00
26	ओडिशा	12.50	0.15	315.16
27	पुडुचेरी	0.05	0.08	2.98
28	पंजाब	388.89	104.15	0.00
29	राजस्थान	543.00	518.49	894.02
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.01
31	तमिलनाडु	630.01	213.65	666.65
32	तेलंगाना	759.13	2004.27	300.84
33	त्रिपुरा	0.09	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	193.24	357.13	265.69
35	उत्तराखंड	192.35	24.79	46.67
36	पश्चिम बंगाल	18.37	11.06	38.63
	कुल	5525.98	9362.63	6529.20